International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume VI, Issue II, April 2019 Available online at: www.ijaur.com

वायु प्रदुषण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन (भोपाल एवं बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में)

गीता आठनेरे
पी.एच.डी. शोधार्थी, शास.स्टेट लॉ कॉलेज, भोपाल
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

सारांश– पर्यावरण का प्रदूषण एक अत्यधिक भयानक पारिस्थितिकी संकट है, जिससे कि हम मनुष्य प्रभावित है। वास्तव मे हम यह जानते है कि सभी जीवों की तीन मूल सुख सुविधायें हैं वायु, म्रदा व जल । कुछ वर्ष वर्षों में यह सुख सुविधाएँ शुद्ध, निर्मल, शांत, संदूषण विहीन और मूलतः सजीव जीवों के लिये आतिथ्यकारी थीं । लेकिन वर्तमान समय में यह स्थिति बिलकुल विपरीत है क्योंकि विज्ञान एंव तकनीकी की प्रगति ने पर्यावरणीय प्रदूषण को तथा भयानक पारिस्थितिकी अंसतुलन को प्रोत्साहित किया है जो कि एक लम्बी अवधि मे मानव सभ्यता के लिये विनाशकारी प्रमाणित होगा । पर्यावरणीय प्रदुषण शहरी–औधौगीकरण, तकनीकी, क्रांति तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक अंश के दोहन का परिणाम है। कृषि उदयोग, परिवहन व तकनीकी क्षेत्र की प्रगति के प्रति पागलपन किसी भी देश, राष्ट्र के विकास की कसौटी है। इस प्रकार मनुष्य की कार्य प्रणालियों ने जैव मण्डल के सजीव जीवों के लिये प्रतिकूल प्रभावों को उत्पन्न किया है । मनुष्य के द्वारा प्रकृति स्वयं के लाभ के लिये असीमित दोहन ने कोमल पारिस्थितिक संतुलन को जो कि पृथ्वी पर सजीव एंव निर्जीव वातावरण घटकों के बीच पाया जाता है उसको असंतुलित कर दिया है । मनुष्य के द्वारा निर्मित इस प्रकार की स्थिति ने पृथ्वी पर रहने वाले सजीव जीव एवं मनुष्य ने स्वयं अपनी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न किया है । पर्यावरणीय असंतुलन का पमुख कारण प्रदुषण है प्रदुषण से जल, वायु, भुमि में ऐसे अवयव मिलते हैं जो वातावरण के प्राकृतिक गुणों को प्रतिकूल रूप से परिवर्तित कर देते हैं । वर्तमान में आवश्यक है कि जनजन को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाये तभी हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अमूल संपदा का सुख भोग सकेंगे।

मुख्य शब्दः– वायु प्रदुषण, पर्यावरणीय असंतुलन, मानव स्वास्थ्य।

प्रस्तावना :–

वायु प्रदुषण आज की ज्वलन्त समस्या है। इस समस्या से न केवल मानव जाति अपितु पशु–पक्षी भी त्रस्त है। वायु प्रदुषण ने मानव जाति का जीना दूभर कर दिया है। वायु प्रदुषण से शारीरिक एवं मानसिक दोष बढ़ रहे हैं। दृष्टिहीनता, विकलांगता, मन्द–बुद्धिता आदि के लिये प्रदुषण व्यापक रूप से जिम्मेदार है।

बढ़ते औद्योगीकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप बिगड़ते पर्यावरण ने मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव डाला। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का वास होता है, इसलिये मनुष्य के स्वास्थ्य पर वायु प्रदुषण का कुप्रभाव चिन्ता का विषय है।

वायु प्रदुषण के दुश्परिणाम –

विज्ञान के इस युग में मानव को वरदान से ज्यादा अभिशाप मिले हैं और वायु प्रदूषण भी एक अभिशाप है, जिसका जन्म तो विज्ञान की कोख से हुआ, परन्तु मानव ने इसे और भी जहरीला बना दिया। मानव के इस दानव रूपी कार्य ने सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या के जीवन को संकट उत्पन्न कर दिया, जो एक आतंकवाद से कम नहीं है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के काल में समाहित हो रहे हैं।

पर्यावरण में प्रदूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, जिससे पर्यावरण की ताजी हवा में विभिन्न हानिकारक सामग्रियॉ मिल रही है।

प्राचीन काल से ही पृथ्वी तथा प्राकृतिक 'शक्तियों के बीच संतुलन ही मानव का अस्तित्व है। वायु ही प्राण बनकर हमारे शरीर में वास करती है। हरे–भरे पेड़–पौधे देश की जनता के लिये फेफड़ों का कार्य करते हैं। मानव जीवन के लिये पर्यावरण का प्रदूषण से मुक्त रहना अत्यन्त आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण विशेष कर देश के महानगरों में रहने वाले लोगों के लिये जीवन का खतरा बनता जा रहा है।

भोपाल में वायु प्रदूषण –

भोपाल प्राकृतिक धरोहर से घिरा होने के बाद भी देश के 20 प्रदूषित 'हरों में 'ाामिल है। मध्य–प्रदेश में प्रथम स्थान पर ग्वालियर और दूसरे स्थान पर भोपाल है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण से निपटने के लिये सड़कों पर वाहनों की संख्या पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है और कचरे के निस्तारण की व्यवस्था व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक हो गया है। पर्यावरण विद् डॉ.सुभाष पांडेय ने बताया कि, पी.एम.–2.5 कण का आकार 2.5 माइक्रोग्राम से कम होते हैं, जो सीधे नाक और मुँह से शरीर में प्रवेश कर

फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे लंग्स और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियॉ होती है।

वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियॉ – एलर्जी के कारण जुखाम, खॉसी, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, सिर–दर्द, थकावट, कार्य क्षमता में कमी, दिमाग पर प्रभाव और हेयर फॉल के लिये भी वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार है।

हवा में पी.एम. 10 फीसदी बढ़ने के कारण खराब सड़कों से उड़ने वाले बारीक कणों की धूल और वाहनों से निकलने वाला कार्बन–युक्त धुँआ, धूल में सिल्लिका एवं लेड जैसे बारिक कण होने से यह शरीर में सीधे प्रवेश करते हैं और घातक बीमारियों को जन्म देते हैं।

बैतूल जिले में सतपुड़ा पॉवर प्लांट (सारनी) –

बैतूल जिले के सारनी क्षेत्र में सतपुड़ा पॉवर प्लांट से बिजली उत्पादन किया जाता है, यहॉ पर कोयले का उत्पादन भी है। प्लांट से बिजली के उत्पादन के साथ ही रोजाना 20 हजार टन से भी अधिक साइलो राख निकलती है, इसके भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं है। राख को लबालब भर चुके डेम में ही भरना पड़ रहा है।

हवा से उड़ने वाली राख इतनी अधिक हो गयी है कि, आस–पास के निवासी – मछली कॉटा, फॉरेस्ट कॉलोनी, वनग्राम सारनी और वार्ड नंबर 10 के लोग घरों में बैठकर खाना भी नहीं खा पा रहे हैं।

सतपुड़ा पॉवर प्लांट की चिमनियों से साइलो राख उड़कर आम लोगों के घरों में पहुँच गयी है। यह राख उड़कर पानी के फिल्टर प्लांट में गिरने से पूरे शहर में सप्लाई हो रहे पानी के माध्यम से हर घर में पहुँच रही है। सैम्पल चैक करने पर पता चला कि, पानी फिल्टर के पश्चात् भी साइलो राख का प्रभाव पानी में मौजूद है।

हवा के साथ साइलो राख उड़ने से वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोगों को सॉस लेने में परेशानी हो रही है और फेफड़ों और दमे की बीमारी से रहवासी ग्रसित हो रहे हैं, जिससे वहॉ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

संवैधानिक उपबंध –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में पर्यावरण प्रदू''ाण से मुक्त रहने का अधिकार ***"प्राण और दैहिक स्वतंत्रता"*** के अधिकार में ही प्रदत्त है, स्वस्थ मानव जीवन के लिये स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। अनुच्छेद–48(ए) पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद–51(क) ***"मूल–कर्तव्य"*** में अनुच्छेद–51(क)(छ) में यह कहा गया है कि, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।

न्यायपालिका की भूमिका :–

प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपयोग का अधिकार

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य

ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 420 – इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि, प्रदू''ाण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद–21 में प्रदत्त ***"प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता"*** के अधिकार के अन्तर्गत आता है और प्रत्येक नागरिक को जल और वायु के प्रदूषण से बचाने के लिये अनुच्छेद–32 के अधीन लोकहित–वाद संस्थिति करने का अधिकार है।

एम.सी.मेहता बनाम कमलनाथ

ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1997 – इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि, वायु, जल अथवा मिट्टी जैसे मूलभूत पर्यावरणीय तत्वों से छेड़छाड़ कर प्रदू''ाण कारित करना स्वास्थ्य के लिये संकटापन्न है और इससे संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद–21 का अतिक्रमण होता है। ऐसे मामले में दोषी पक्षकार से निर्दोष व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाया जाये।

बम्बई डाईग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं.लि. बनाम एन्वायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1489 – इस मामले में यह कहा गया कि, आज के युग में एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है और दूसरी तरफ विकास की। ऐसी स्थिति में दोनों में सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्तर्राष्टोय प्रयास –

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा, 1966.
2. स्टॉक–होम सम्मेलन।
3. नैरोबी घोषणा।
4. पृथ्वी शिखर सम्मेलन।
5. रियो घोषणा।
6. क्योटो प्रोटोकाल।
7. ओजोन परत संरक्षण।
8. मानव पर्यावरण संरक्षण सिद्धान्त।

भारतीय अधिनियम –

1. भारतीय संविधान।
2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860.
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.
4. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907.

5. अपकृत्य विधि।
6. पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूप रेखा।

वायु प्रदूषण संबंधी अधिनियम –

1. कारखाना अधिनियम, 1948.
2. उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951.
3. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962.
4. प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल तथा अवशि''ट अधिनियम, 1958.
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
6. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
7. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995.
8. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010.

सुझाव –

1. पर्यावरण संरक्षण ही वायु प्रदूषण से मुक्ति का अचूक उपाय है।
2. सरकार देश विकास में जिन पेड़ को काटती है, उसके ठीक 03–साल पहले उतने ही पेड़ लगाकर उन्हें बड़ा किया जाये, फिर देश विकास के पेड़ों को काटा जाये।
3. सरकार द्वारा आरक्षित भूमि को ग्रीन बेल्ट बनाया जाये, चाहे गॉव किनारे, सड़क वाली भूमि हो या अन्य भूमि तथा शहरों में सड़क किनारे वाली भूमि पर ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ों को लगाया जाये।
4. पर्यावरण दिवस पर लगाये जाने वाले पेड़ों की उचित देखभाल कर उन्हें बड़ा करना आवश्यक है।
5. छोटे बच्चों को स्कूल एवं घर में पेड़ों के जीवन उपयोगी महत्व को बताना चाहिये तथा उन्हें पेड़ों की देखरेख की जानकारी देना चाहिये।
6. घरों में अधिक से अधिक मनी प्लांट लगाकर घर के वायु प्रदूषण से निजात पाया जा सकता है।
7. पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक मानव को स्वयं लेनी चाहिये। इसे अपना अधिकार समझकर इसका निर्वहन करना चाहिये।
8. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को अधिक सशक्त बनाने के लिये, वायु प्रदूषण केन्द्रीय बोर्ड एवं वायु प्रदू''ाण राज्य बोर्ड का अलग से गठन किया जाना चाहिये। जल अधिनियम के साथ सम्मिलित होने से यह अधिनियम प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही है।
9. केन्द्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के सदस्यों में डॉ.विशेषज्ञ एवं लैब विशेषज्ञों को ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित किया जाना चाहिये, जिससे वायु की गुणवत्ता का तुरन्त पता लगाया जा सके।
10. वायु प्रदूषण में अधिकता होने से बोर्ड की बैठकें दिन–प्रतिदिन की जानी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. डॉ.बसन्ती लाल बाबेल लेखक – भारत का संविधान, प्रकाशक – सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, षठम् संस्करण : 2003.
2. डॉ.बसन्ती लाल बाबेल लेखक – संवैधानिक विधि नई चुनौतियॉ, प्रकाशक – सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण : 2013.
3. डॉ.जय नारायण पाण्डेय लेखक – भारत का संविधान, प्रकाशक – सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, पचासवॉ संस्करण : 2017.
4. डॉ.अनिरूद्ध प्रसाद लेखक – पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूप रेखा, प्रकाशक – सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, बाईसवॉ संस्करण, छियालिसवॉ संस्करण : 2015.

WEB SITES :

https://www.bhaskar.com
https://m.patrika.com
https://hindi.news18.com
https://m.jagran.com